संख्या– 1893 /xxviii-5–2010–125/2007

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 11 अक्टूबर 2010

विषयः **वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिगधार जनपद रूदप्रयाग के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–769/ XXVIII-5-2007-125/2007 दिनांक 30.11.07 एवं आपके पत्र सं0–7प/1/पी0एच0सी0/33/2007/12867 दिनांक 15.05.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिगधार जनपद रूदप्रयाग के निर्माणाधीन भवन हेतु अनुमोदित लागत ₹ 64.90 लाख के विरूद्ध पूर्व में अवमुक्त ₹ 26.00 लाख के अतिरिक्त योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में सम्पूर्ण अवशेष ₹ 38.90 लाख (रुपये अड़तीस लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

1– धनराशि तत्काल आहरित कर परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम श्रीनगर (गढ़वाल) को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुऐ कार्य को समयबद्ध ढंग से इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाय एवं स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब की दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायेगा ।

2– धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व समुचित स्तर पर सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि सम्बन्धित योजना में मूल स्वीकृति समयसीमा लागत, लक्षित परिणामों के अनुरूप प्रगति हो रही हो। धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व समुचित स्तर पर योजना के सम्बन्ध में सघन मूल्यांकन/परीक्षण किया जायेगा।

3– एकमुश्त प्राविधानों के सापेक्ष कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

4– प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायगा।

5– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

6– धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है।

.....2

7— स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8— स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

9— अवमुक्त की जारी धनराशि का पूर्ण व्यय दिनांक 31.03.11 करते हुए वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा तथा यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा । विलम्ब की दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायेगा।

10— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2010–11 के अनुदान सं0–12 लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, आयोजनागत 02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण (राज्य योजना) 00–24–वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

11— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–564(P)/XXVII(1)/2010 दिनांक 07.10.10 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

संख्या-1893 (1)/XXVIII-5-2010-125/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल उत्तराखण्ड।
4. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, रूदप्रयाग ।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, रूदप्रयाग ।
8. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/रूदप्रयाग।
9. अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री ।
10. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम श्रीनगर (गढ़वाल)
11. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
13. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव